न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 37 / 2012 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. नगला पिता रानजी, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. धूलिया पिता रानजी, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. हकजी पिता चोखा, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. गोबरीया पिता खेमाला, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. दितीया पिता खेमाला, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. सोमजी पिता खेमाला, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. छगन पिता खेमाला, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती दीपा पत्नी कालिया, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. नाथू पिता चुनिया, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. श्रीमती हाली पत्नी चुनिया, जाति भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा
दिनांक 30.09.2011, प्र.सं. 5 / 2005

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री महेन्द्र गांधी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9

———::———

निर्णय **दिनांक 05–09–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 109 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष जाला जी के पुत्र हरजी के तीन पुत्र चोखला, रानजी व खेमा हुए। वादी चोखला का पुत्र है। रानजी के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा खेमला के वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 9 हैं। विवादित आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार कुल खेत 16 रकबा 68 बीघा 1 बिस्वा ग्राम मोटी टीम्बी में स्थित है, जिस पर पक्षकारान काबिज हैं। सेटलमेन्ट के समय सन्1915–16 में खाता संख्या 18 में कुल 36 बीघा भूमि मूल पुरूष जाला जी के नाम अंकित थी। जाला जी ने ही भूमियां नोतोड़ निकाली व उसके साथ उसका पुत्र हरजी भी कृषि कार्य में सहयोग करता था। सन् 1915–16 के उक्त खेतों को सन् 1945–46 के नवीन खसरा नंबरान जाला के प्रपौत्र रानजी पिता हरजी ने अकेले के नाम दर्ज करवा जी, जबकि वादगस्त भूमि पर रानजी के भाई चोखला व खेमला के वारिसान भी रानजी के वारिसान के साथ काबिज चले आ रहे हैं। रानजी के मरने के बाद उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 19–09–1958 अपने नाम गलत तरीके से खुलवा लिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 ने भी बाला–बाला अपना नाम भी दर्ज करवा लिया एवं नामान्तरकरण संख्या 85 से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम थिा कालिया, गोबरा, दितीया पिता खेमला के नाम 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 के नाथू 1/8 हिस्सा दर्ज करवा लिया। तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 1001 दिनांक 01–06–2000 से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के नाम दर्ज करवा लिया, जो अवैध है एवं उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध हैं एवं

उक्त भूमियां मौरूसी होकर वादी चोखला का पुत्र होकर उसका 1/3 हिस्सा होकर व अपने हिस्से पर काबिज है। अतएवं वादग्रस्त भूमियों में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के साथ 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर नामान्तरकरण विधि सम्मत होने का कथन किया। प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29–06–2006 को निम्नानुसार 3 तनकियात कायत की गयी :–

1. क्या वाद की चरण संख्या 1 में वर्णित सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मूल पुरूष जाला आत्मज फूला के उत्तराधिकारी एवं वंशज हैं ? ..... वादी
2. क्या वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 117 (नई) एवं 111 (पुरानी) पैत्रृक है एवं उस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक का कब्जा काश्त है ? ..... वादी
3. दादरसी ?

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूत के आधार पर उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 26–07–2007 को निर्णय पारित करते हुए वादी को वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकारी घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–10–2012 को पेश की की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण अशिक्षित होकर ग्रामीण व्यक्ति हैं एवं गुजराव व अहमदाबाद में मजदूरी करते हैं व बीमार होने से अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सके। दिनांक 03–10–2012 को अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई, तत्पश्चात नकलें प्राप्त कर दिनांक 04–010–2012 को अपील अन्दर जानकारी प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने वाद बिन्दु संख्या 1 जो वादी को साबित करानी थी, बिना साक्ष्य का विवेचन किये उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णय कर दी, जबकि वादी द्वारा इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी। इसी प्रकार वाद बिन्दु संख्या 2 के निर्णय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की अनदेखी की गयी है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन कर अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 के निर्णय में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है, जो कि प्रदर्श 3 जमाबन्दी अनुसार भूमियां मूल पुरूष जाला जी के समय की होना प्रमाणित हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 के सम्बन्ध में भूमियों को मौरूसी मानकर जाला के वंशज होने के कारण वादी को उसके 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

प्रकरण में जहां तक तनकी नंबर 2 का प्रश्न है, सजरा प्रमाणित होना तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक का कब्जा काश्त नहीं होने बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। वैसे भी विरासती

उत्तराधिकार में कब्जे का प्रश्न गौढ़ होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमियां जाला के समय की होना तथा वादी का विरासती उत्तराधिकार होने के कारण वादी को खातेदार घोषित किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2011 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–09–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

नगला पिता रानजी भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **हकजी पिता चोखा भील, निवासी मोटी टीम्बी, तहसील बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**37 / 2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बागीदौरा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....30**.....माह.....**09**.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**05**....माह.....**09**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री महेन्द्र गांधी**....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... **श्री जयेन्द्र पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2011 यथावत रखी जाती है।** .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**05**.....माह.....**09**.....**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।